

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सिंचाई प्रमण्डल, जमुई
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-02/2025-26
(केवल ई-टेंडर पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

1. कार्य का विवरण -

युप संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू में)	अग्रघन की राशि (लाख रू में) (ऑन लाईन अथवा फिजिकल / मैनुअल मोड में भुगतये)	परिमाण - विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में भुगतये) रू में	बेल्ड्रॉन को देय बिड प्रोसेसिंग फी (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में भुगतये) रू में	कार्य समाप्ति की तिथि
01	02	03	04	05	06	07
01	सिंचाई प्रमण्डल, जमुई अन्तर्गत लोअर किउल वैली दायां मुख्य नहर में सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य; रामपुर शाखा नहर में सुरक्षा दीवार का निर्माण एवं पुनर्स्थापन कार्य; शहुर वितरणी में आउटलेट का निर्माण एवं पुनर्स्थापन कार्य एवं गरही वितरणी का पुनर्स्थापन कार्य	41.62954	0.84	5,000.00	590.00	02 माह
02	सिंचाई प्रमण्डल, जमुई अन्तर्गत खड़सारी शाखा नहर के विभिन्न स्थानों पर अवस्थित सुरक्षा दीवार एवं आउटलेट का निर्माण कार्य एवं गिद्धेश्वर पर्ईन (चेन संख्या-460 से 476) सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य।	26.00	0.52	5,000.00	590.00	02 माह

- निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक -25.03.2026
- निविदा कागजात डाउनलोड एवं अपलोड करने की अवधि (सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर) : दिनांक 06.04.2026 से दिनांक 15.04.2026 के 3.00 बजे अपराहन तक
- तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक-17.04.2026 समय 3.30 बजे अपराहन में (सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
- वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय : सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायेगी (सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
- निविदा खोलने का स्थान : www.eproc2.bihar.gov.in पर
- निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन
- विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, जमुई।
- विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in एवं www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

25/03

25/03/26
कार्यपालक अभियंता,
सिंचाई प्रमण्डल, जमुई
मो-8809613058

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सिंचाई प्रमण्डल, जमुई
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-02/2025-26
(केवल ई-टेंडर पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

1. कार्य का विवरण -

युप संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख ₹ में)	अग्रघन की राशि (लाख ₹ में) (ऑन लाईन अथवा फिजिकल/मैनुअल मोड में भुगतये)	परिमाण - विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में भुगतये) ₹ में	बेल्ड्रॉन को देय बिड प्रोसेसिंग फी (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में भुगतये) ₹ में	कार्य समाप्ति की तिथि
01	02	03	04	05	06	07
01	सिंचाई प्रमण्डल, जमुई अन्तर्गत लोअर किउल वैली दायां मुख्य नहर में सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य; रामपुर शाखा नहर में सुरक्षा दीवार का निर्माण एवं पुनर्स्थापन कार्य; शहुर वितरणी में आउटलेट का निर्माण एवं पुनर्स्थापन कार्य एवं गरही वितरणी का पुनर्स्थापन कार्य	41.62954	0.84	5,000.00	590.00	02 माह
02	सिंचाई प्रमण्डल, जमुई अन्तर्गत खडसारी शाखा नहर के विभिन्न स्थानों पर अवस्थित सुरक्षा दीवार एवं आउटलेट का निर्माण कार्य एवं गिद्धेश्वर पर्ईन (चेन संख्या-460 से 476) सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य।	26.00	0.52	5,000.00	590.00	02 माह

- निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक -25.03.2026
- निविदा कागजात डाउनलोड एवं अपलोड करने की अवधि (सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर) : दिनांक 06.04.2026 से दिनांक 15.04.2026 के 3.00 बजे अपराहन तक
- तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक-17.04.2026 समय 3.30 बजे अपराहन में (सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
- वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय : सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायेगी (सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
- निविदा खोलने का स्थान : www.eproc2.bihar.gov.in पर
- निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन
- विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, जमुई।
- विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in एवं www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।
- ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) अंकिय हस्ताक्षर (Digital Signature) आवश्यक होगा। यह उन्हें वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in से डाउनलोड करने/ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
- ई-निविदा मात्र वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।

12. स्मृचित श्रेणी में नवीकृत निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम होंगे। वैसे संवेदक जो किसी विभाग द्वारा डिवार अथवा कालीकृत किये गये हैं या जिनके द्वारा कार्यावंटन के पश्चात् भी तय सीमा तक एकरारनामा नहीं किया गया हो या किसी कार्य को अधुरा छोड़ा गया हो इस निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।
13. (क) e-Tendering/e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा हेतु बिड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायगा) का भुगतान online mode (e-Payment mode) यानी Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है।
(ख) e-Tendering/e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली राशि online mode (e-Payment mode) अथवा Physical mode/Manual Payment System में स्वीकार्य होगा।
online mode के तहत अग्रधन की राशि Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
Physical mode/Manual Payment System के तहत अग्रधन की राशि केवल बैंक गारंटी (बिना शर्तवाली) कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, जमुई के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित करना अनिवार्य होगा। अग्रधन के रूप में उक्त वर्णित प्रतिभूति निविदा निर्गत की तिथि एवं निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि के बीच निर्गत किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा। जल संसाधन विभाग के पत्रांक 88 दिनांक 29.01.2024 के आलोक में :-
(क) निविदा से संबंधित सभी कागजात केवल आन लाईन मोड में से स्वीकार किये जाएंगे। निविदा में भाग लेने हेतु किसी भी कागजात का हार्ड कॉपी जमा करना आवश्यक नहीं होगा।
(ख) अग्रधन की राशि ऑन लाईन पेमेंट या बैंक गारंटी के द्वारा स्वीकार किया जायेगा। निविदा में सफल निविदाकार को आवश्यक कागजात जैसे सभी शपथ पत्र (मूल में) बैंक गारंटी (मूल में) एकरारनामा के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।
(ग) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date & time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."
(घ) "BSEDC Processing Fee and Tender Fee/BOQ Fee has to be paid through e-Payment mode only. EMD may be paid either through online or offline mode".
14. संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाइट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाइट पर ही इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात बैंक ड्राफ्ट/ अग्रधन की राशि/ सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
15. किसी भी प्रकार का शुद्धि-पत्र को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द / विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
16. संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/ पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रलेख Pdf, MS Office (Compatibility Mode), JPEG, ZIP Format में ही Upload किये जाए, अन्य Format में upload documents के Download/open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
17. संवेदक स्कैन पर अपलोड किए गये कागजातों की Download ability/ visibility से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।
18. इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व ही कठिनाइयों से बचने हेतु बीड को अपलोड कर लें।
19. संवेदक के विपत्र से 1% (एक प्रतिशत) सेस की राशि भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु एवं नियमानुसार जी.एस.टी की कटौती की जायेगी।
20. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/ सूचना हेतु ई-टेन्डरिंग सेल, कम्प्यूटर सेल, सिंचाई भवन पटना (0612-2235241) एवं टॉल फ्री नं०-18005726571 अथवा ई-मेल eproc2support@bihar.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।
21. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोतरी एवं बढ़ोतरी हो सकती है। तदनुसार अग्रधन की देय राशि संशोधित समझी जायेगी।
22. जल संसाधन विभाग, बिहार के पत्रांक-536 दिनांक 18.07.2023, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4439 E दिनांक-17.07.2023 के आलोक में CWJC N-9941/2022 बिहार संवेदक संघ बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक-06.07.2023 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में निविदा दर की न्यूनतम सीमा को समाप्त कर दी गई है।

23. जल संसाधन विभाग, बिहार के पत्रांक-50 दिनांक 20.01.2020, पथ निर्माण विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 447(S) दिनांक 16.01.2020 एवं पत्रांक 449(S) दिनांक 16.01.2020 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदा दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है ।
24. The pre-qualification bid will be decided on the Basis of following papers and as per WRD norms
- Paper Regarding appropriate registration in the Department must be submitted.
 - Required earnest money must be submitted as per BOQ.(in shape of Bank Guarantee only)
 - Contractor will have to submit oath as follows - **“I, the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R. and lawful punishment as well as black listing”.**

निविदा डालने के पूर्व संवेदक स्थल निरीक्षण कर लें । बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा ।

26. निविदा हेतु आवेदन एवं आवश्यक कागजातों के साथ-साथ संवेदक निबंधन प्रमाण-पत्र, बैध आचरण प्रमाण-पत्र (पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत) पैन कार्ड एवं वाणिज्य कर सक्रिय निबंध प्रमाण-पत्र स्वहस्ताक्षरित प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा ।
- नोट:- GST सफाया प्रमाण-पत्र (GSTR-3B) अद्यतन रहने की स्थिति पर ही भुगतान की प्रक्रिया की जायेगी
27. बिहार सरकार/जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अधिसूचना/ आदेश निविदा के शर्तों के लिए मान्य होगा ।
28. तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा ।
29. जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना का पत्रांक-124 दिनांक 04.02.2021 के आलोक में निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदादाताओं को निविदा कागजात के साथ जिला पुलिस द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
30. विभागीय पत्रांक-599 दिनांक 06.12.2019 के आलोक में फार्म 'एम' एवं 'एन' के सत्यापन पद्धति को समाप्त करते हुए मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) की कटौती आपूर्तिकर्ता/कार्य ठीकेदारों के विपत्र से की जाएगी ।
31. संवेदक द्वारा जल संसाधन विभाग का पत्रांक-1015 दिनांक 13.12.2021 का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।

पत्रांक:-434/जमुई, दिनांक:-25/03/2026

प्रतिलिपि:- सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन पटना को समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु समर्पित ।

कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमण्डल, जमुई
25/03/26

कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमण्डल, जमुई
25/03/26